

प्रेस नोट थाना राजघाट गोरखपुर दिनांक 13.11.2022

15 कि०ग्रा० नाजायज गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम, मादक पदार्थों के बिक्री व व्यापार के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी/व०उ०नि० संजय कुमार गुप्ता थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह द्वारा अभियुक्तगण 1- विनय रावत पुत्र विनोद रावत निवासी अमरुदमण्डी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर 2- करण शंकर गोस्वामी पुत्र रामदेव गोस्वामी निवासी पिपरी थाना गीडा जनपद गोरखपुर को 15.00 कि०ग्रा० नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना राजघाट पर मु०अ०सं० 329/2022 व 330/2022 धारा 8/20 NDPS. Act. एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1- विनय रावत पुत्र विनोद रावत निवासी अमरुदमण्डी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2- करण शंकर गोस्वामी पुत्र रामदेव गोस्वामी निवासी पिपरी थाना गीडा जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

15.00 कि०ग्रा. नाजायज गांजा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 329/2022 व 330/2022 धारा 8/20 NDPS. Act. एक्ट थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

- 1--उपनिरीक्षक कुंवर गौरव सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 2--कां. देवेन्द्र यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 3--कां. अशोक यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 4--कां. अंकित बिन्द थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 5--कां. अर्जुन शर्मा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर